अनुदान संख्या 80 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 80 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue :**				
प्रभारित -	*Charged -*		..	*15*	*+15*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	16090,54,00	18474,45,00	17884,64,43	-589,80,57
पूरक	Supplementary	2383,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				127,71,49
पूंजीगत :	**Capital :**				
प्रभारित -	*Charged -*		*8,20,00*	*64,91*	*-7,55,09*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*70,00*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	19826,56,00	20418,53,00	19473,17,31	-945,35,69
पूरक	Supplementary	591,97,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				222,73,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹0.15 लाख* अधिक हो गया है। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगें स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *₹0.15 lakh*. **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services	..	*0.15*	*+0.15*

(I) "सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" के अंतर्गत *₹0.15 लाख* का अधिक व्यय (*शून्य* प्रावधान की तुलना में) रिट याचिका की लागत चुकाने के कारण हुआ।

(I) Under "Secretariat – Ministry of Road Transport and Highways" – excess of *₹0.15 lakh* (against *nil* provision) was due to defray the cost of writ petition.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹58980.57 लाख) नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹238391.00 लाख के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹58980.57 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grants of ₹238391.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	33197.00	33947.51	30688.30	-3259.21
पु.	R.	750.51			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"					
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges					
मू.	O.	1324049.00				
पू.	S.	155153.00		1490530.00	1475812.43	-14717.57
पु.	R	11328.00				
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"					
सड़क परिवहन	Road Transport					
मू.	O.	30000.00				
				12117.00	8067.78	-4049.22
पु.	R.	-17883.00				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	213992.00				
पू.	S.	82887.00		291379.00	267741.94	-23637.06
पु.	R.	-5500.00				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"					
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	7816.00				
पू.	S.	351.00		6700.00	6153.98	-546.02
पु.	R.	-1467.00				

(I) ₹4273.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹4167.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹4273.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹4167.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3054" -"राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - राजमार्ग प्रशासन" - ₹200.00 लाख राजमार्ग प्रशासन का कार्य शुरू न होने के कारण थे।

(A) Major Head "3054"- "National Highways Road Works –Highways Administration"-₹200.00 lakhs - due to non commencement of work of the highways administration.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामरिक महत्त्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य- सड़क स्कंध के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य" - ₹500.00 लाख लक्ष्यों में कटौती किए जाने और सामरिक महत्त्व की सड़क का अंतरण रक्षा मंत्रालय को किए जाने के कारण थे।

(ख) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- राज्य राजमार्ग - (सड़कें और सेतु) - अन्य अनुदान- आर्थिक महत्व की सड़कें" - ₹2000.00 लाख उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602"- "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व की सड़कें" - ₹1467.00 लाख प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "3054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कन्ध द्वारा रखरखाव" - ₹103286.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹100000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹203286.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹15648.48 लाख की सीमा तक प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से कुछ राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति संबंधी दावे प्राप्त न होने/लेखा-जोखा न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य सड़क के लिए अनुदान" - ₹181917.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹81635.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹263552.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण ₹23895.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3601"-

(a) "Grants for Central Plan Schemes– Strategic and Border Roads – Road Works- Road Works under Roads Wing" – ₹500.00 lakhs - due to reduction in targets and transfer of road Strategic to Ministry of Defence.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - State Highways – (Roads and Bridges) – Other Grants - Roads of Economic Importance" - ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates.

(C) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads of Inter-State or Economic Importance"- ₹1467.00 lakhs- due to non-receipt of proposals.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "3054"- "National Highways– Road Works – Maintenance by Roads Wing"- the original provision of ₹103286.00 lakhs was augmented to ₹203286.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹15648.48 lakhs - due to non-receipt/accountal of reimbursement claims from some State Governments owing to procedural delay.

(B) Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Grants from Central Road Fund – Grants for State Road" - the original provision of ₹181917.00 lakhs was augmented to ₹263552.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹81635.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹23895.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments and non-submission of utilization certificates.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय -सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹2508.70 लाख की बचत (₹33197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कंप्यूटर प्रणाली की अधिप्राप्ति न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways"- saving of ₹2508.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33197.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of computer system and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3054"- savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग " - "सड़क निर्माण कार्य - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण" - ₹143.38 लाख की बचत (₹177.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "National Highways - Road Works - National Highways Tribunals"- saving of ₹143.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹177.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "सामरिक महत्त्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय" -

(B) "Strategic and Border Roads – Other Expenditure" –

(क) "भूटान प्रतिकर भत्ता" - ₹222.76 लाख की बचत (₹790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राक्कलनों के अनुसार बकाया का भुगतान न किए जाने और प्रतिकर भत्ता की बकाया राशि की अदायगी के लिए समायोजन को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Bhutan Compensatory Allowance" - saving of ₹222.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹790.00 lakhs) was due to non-payment of arrears as per estimates and non-materialization of adjustment for the arrears payment of compensatory allowance.

(ख) "सड़क निर्माण-कार्य" - ₹5574.15 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10325.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क स्कंध के अंतर्गत मूल निर्माण कार्यों के लक्ष्यों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Road Work" - saving of ₹5574.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10325.50 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to reduction in targets of original works under Border Road Wing.

(गा) "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" - ₹890.68 लाख की बचत (₹1109.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "District and Other Roads – Road Works– Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without Legislature" – saving of ₹890.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1109.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals.

(घा) "सामान्य - अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान"- ₹652.20 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(D) "General - Research and Development - Highway Research" - saving of ₹652.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs) was due to slow progress of work by research agencies.

(V) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सड़क सुरक्षा'' - ₹11951.02 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मॉडल चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना संबंधी स्कीम के अनुमोदन में विलम्ब होने और सड़क सुरक्षा उपस्करों और रोगी वाहनों की विनिर्दिष्टियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क'' - ₹2980.21 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन क्षेत्रों की विलम्ब से पहचान किए जाने की वजह से अध्ययन सौंपे जाने संबंधी प्रक्रिया का पूरा न होने और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से कम मांग होने के कारण हुई।

(गा) ''निरीक्षण और रखरखाव केन्द्र'' - ₹5145.00 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने/अंतिम रूप दिए जाने और निरीक्षण और रखरखाव केन्द्र की रूपरेखा संबंधी अध्ययन रिपोर्ट देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण'' - ₹1755.99 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने/अंतिम रूप दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीम को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामरिक महत्त्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत ₹2738.26 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्रोह की वजह से कश्मीर घाटी में लक्ष्यों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - पांडिचेरी में सड़कें'' - ₹546.02 लाख की बचत (₹860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3055" - "Research" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Road Safety" - saving of ₹11951.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme for setting up Model Drivers Training School and non-finalisation of specification for Road Safety equipments and ambulances.

(B) "National Data Base Network" - saving of ₹2980.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-completion of procedure for award of studies owing to late identifications of study areas and less demand from National Informatics Centre.

(C) "Inspection and Maintenance Centre"- saving of ₹5145.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was due to receipt/ finalization of less number of proposals and late receipt of study report on the features of inspection and maintenance centre.

(D) "Improving and strengthening of Public Transport System"-saving of ₹1755.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to receipt/finalization of less number of proposals and non-approval of the scheme by the Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Strategic and Border Roads – Road Works - Road works under BRDB"- saving of ₹2738.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to reduction in targets in Kashmir valley owing to insurgency.

(VII) Under Major Head "3602" - "Grants for Union Territory Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads in Pondicherry"- saving of ₹546.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹860.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territory Government.

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹21166.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹55153.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3. The above savings were partly (₹21166.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹55153.00 lakhs under Major Head "3054" – under the following heads:-

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य- सीमा सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव" - ₹2600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1923.05 लाख था।

(I) "National Highways – Road Works – Maintenance by Border Roads Wing" – ₹2600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1923.05 lakhs.

(II) "सामरिक महत्त्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव" - ₹1064.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹546.60 लाख था।

(II) "Strategic and Border Roads – Road Works– Maintenance by Border Roads Wing" – ₹1064.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹546.60 lakhs.

(III) "सामान्य - आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अंतरण - केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" - ₹17502.00 लाख।

(III) "General – Transfer to/from Reserve Fund/ Deposit Account – Block Grant for Transfer to Central Road Fund" – ₹17502.00 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*820.00*	*750.00*	*64.91*	*- 685.09*
पु.	*R.*	*-70.00*			

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत *₹578.57 लाख* की बचत (*₹600.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "National Highways - Road Works- Works under Roads Wing" - saving of *₹578.57 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹600.00 lakhs*) was due to receipt of less number of proposals from implementing agencies.

(II) “सामरिक महत्त्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य” के अंतर्गत - *₹176.52 लाख* की बचत (*₹220.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) न्यायालय संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under “Strategic and Border Roads - Road Works - Works under BRDB” - saving of *₹176.52 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹220.00 lakhs*) was due to non-finalisation of court cases.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹94535.69 लाख) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹59197.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं ।

5. In the voted portion of the capital section of the grant the overall savings (₹94535.69 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹59197.00 lakhs obtained in March, 2011 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष “4552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O	175000.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-175000.00			
मुख्य शीर्ष “5054” सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “5054” Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1799656.00			
पू.	S.	59196.00	2011579.00	1939317.31	-72261.69
पु.	R.	152727.00			

(I) ₹175001.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “4552”- “राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क और सेतु) - सड़क निर्माण कार्य” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹175001.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head “4552”-”National Highways (Roads and Bridges)-Road Works” - under the following heads:-

(का) ''सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य''- ₹25001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(खा) ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम''- ₹150000.00 लाख ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''5054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्कर'' - ₹1499.48 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ मशीनरियों के लिए कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामरिक महत्त्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य'' - ₹46355.66 लाख की बचत (₹300548.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभूतपूर्व वर्षा और बादल फटने की वजह से लक्ष्यों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹44760.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' के अंतर्गत ₹59196.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹25528.57 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹102849.28 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Road Development works under Roads Wing and BRDB"-₹25001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas"-₹150000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "5054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways - Machinery and Equipment – Machinery and Equipment" – saving of ₹1499.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals and non-finalisation of tendering process for some machineries.

(B) "Strategic and Border Roads - Road Works-Works under BRDB" - saving of ₹46355.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300548.00 lakhs) was due to reduction in targets owing to unprecedented rainfall and cloud burst.

6. (I) The above savings were partly (₹44760.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹59196.00 lakhs under Major Head"5054"- "National Highways-Road Works-Works under Roads Wing". Actual excess, however, was ₹25528.57 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" – "National Highways - Road Works - Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas"- excess of ₹102849.28 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

7. *केन्द्रीय सड़क निधि :-*

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर ₹1/- प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

वर्ष 2010-2011 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :-

7. *Central Road Fund:-*

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of ₹1/- per liter has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

The Account of the Fund for 2010-2011 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	4232,29,87
प्राप्तियां	Receipts	16600,00,00
अदायगियां	Payments	17029,77,50
अंतशेष	Closing Balance	3802,52,37

8. *राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि :-*

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में "राष्ट्रीय राजमार्ग

8. *National Highways Permanent Bridges Fees Fund :-*

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially

स्थायी पुल शुल्क निधि" को अंतरित कर दिया जाता है । संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

वर्ष 2010-2011 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :-

The Account of the Fund for 2010-2011 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	330,56,57
प्राप्तियां	Receipts	1698,39,00
अदायगियां	Payments	1742,44,80
अंतशेष	Closing Balance	286,50,77